राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

कमाक : प 7 (51) परि/नियम/06/III / 41703. जयपुर, दिनांक : 26.08.2009 25

कार्यालय आदेश 24 /2009

विषयः–केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 15 के अनुसार चालन परीक्षण सख्ती से लिये जाने के संबंध में।

कार्यालय आदेश 12/2009 एवं 22/2009 के द्वारा नियमानुसार ड्राईविंग लाईसेंस परीक्षण में लगने वाले न्यूनतम समय के आधार पर प्रतिदिन प्रति निरीक्षक/उप निरीक्षक द्वारा किये जाने वाले वाहन चालन परीक्षण संख्या के मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं।

ड्राईविंग लाईसेंस आवेदकों का केन्द्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के नियम 15 के अनुसार चालन परीक्षण करते समय वाहन को रिवर्स लेने एवं पार्किंग संबंधित प्रावधानों की विशेष रूप से जांच की जाने की आवश्यकता है। नियम 15 के उप नियम (k) एवं (l) के अन्तर्गत वाहन को रिवर्स लेने एवं पार्किंग से संबंधित निम्न प्रावधान हैं :–

(k) "in the case of vehicle having a reverse gear, driving the vehicle backwards, reverse it into a limited opening either to the right or left under control and with reasonable accuracy."

(l) "cause the vehicle to face in the opposite direction by means of forward and reverse gears."

अतः उपरोक्त संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि ड्राईविंग लाईसेंस आवेदक के चालन परीक्षण की नियमानुसार जांच के दौरान नियम 15 द्वारा विनिर्दिष्ठ समस्त निर्देशों की पूर्ण पालना के साथ यह भी सुनिश्चित किया जाये कि ड्राईविंग ट्रेक पर चालन परीक्षण में वो ही आवेदक उत्तीर्ण हो जो रिवर्स गेयर में अंग्रेजी का आठ अंक बनाकर वाहन चला सकता हो एवं पार्किंग स्थान में दो वाहनों के बीच में उचित प्रकार से अपने वाहन की पार्किंग करने में पारंगत हो।

उपरोक्त निर्देशों की पालना सख्ती से की जाये अन्यथा संबंधित कर्मचारी/अधिकारी के विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(निरन्जन आर्य)
परिवहन आयुक्त एवं
पदेन शासन सचिव

कमाक : प 7 (51) परि/नियम/06/III / 41703-04. जयपुर, दिनांक : 26.08.2009 25

प्रतिलिपि :–

1. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक परिवहन अधिकारी.................................
2. समस्त जिला परिवहन अधिकारी................................
3. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण.......................................
4. श्री संजय सिंघल, प्रोग्रामर को विभाग की बेवसाईट की अपडेटिंग हेतु।
5. रक्षित पत्रावली।

उपायुक्त (नियम)